


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री संजय पण्ड्या, प्रधानाचार्य राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (सुरपूर) डुंगरपूर, जिनकी जन्मतिथि 21.08.1970 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 29.01.1997 है, तथा इनका दिनांक 12.11.2017 को राजकीय सेवा में रहते हुवे स्वर्गवास हो चुका है। अतः श्री संजय पण्ड्या की राजकीय सेवाएँ दिनांक 12.11.2017 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री संजय पण्ड्या, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/संजय पण्ड्या/2017

दिनांक : 1-2-2018

प्रति लिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डुंगरपूर
4. श्री संजय पण्ड्या, प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक डुंगरपूर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (सुरपूर) डुंगरपूर
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती सोमलता शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य समकक्ष) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) बून्दी में कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 10.12.1958 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06.04.1985 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 5(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.03.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्रीमती सोमलता शर्मा, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-6/सोमलता शर्मा/2017

दिनांक : 1-2-2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक), बून्दी
4. श्रीमती सोमलता शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता (प्रधानाचार्य समकक्ष) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) बून्दी
5. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) बून्दी
6. सहायक निदेशक (राजपत्रित) प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कामिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री बट्टीलाल शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोखमपुरा बांरा जिनकी जन्मतिथि 03.07.1958 है, प्रथम नियुक्ति तिथि 03.07.85 है। तथा श्री बट्टीलाल शर्मा द्वारा दिनांक 01.04.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने के कारण इनको दिनांक 01.04.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है। एवं इनकी राजकीय सेवाएं सन्तोषजनक रही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बट्टीलाल शर्मा के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



नथमल डिडेल

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-6/बट्टीलाल शर्मा/2016

दिनांक : 1-2-2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, कोटा
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांरा
5. प्रधानाचार्य, राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोखमपुरा बांरा
6. श्री बट्टीलाल शर्मा, प्रधानाचार्य, राज. उ. मा. वि. मोखमपुरा बांरा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर